शीर्ष प्राथमिकता/फैक्स/ई–मेल
संख्या–3682पी/छः–पु–3–2014–42पी/2005

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,उ०प्र०।
(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उ०प्र०।

गृह(पुलिस) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 09 दिसम्बर, 2014

विषय :–जन समस्याओं के त्वरित एंव गुणात्मक निस्तारण हेतु ''समाधान दिवस'' का आयोजन।

महोदय,

जन–समस्याओं का स्थानीय स्तर से निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण से शान्ति व्यवस्था कायम रखने में भी सहायता मिलती है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी महत्वपूर्ण निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासनादेश संख्या–2121पी/छः–पु–3/2005, दिनांक 21 जून, 2005 द्वारा **''थाना पंचायत दिवस''** के आयोजन हेतु निर्देश दिये गये थे। इसके उपरान्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के माध्यम से थाना दिवस को और प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से निर्देश दिये जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य दिवस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रातः 10.00 बजे पूर्वाहन से 12.00 बजे मध्याह्न तक जन समस्याओं को सुनने के निर्देश भी दिये गये हैं। शासनादेश संख्या–1742पी/छः–पु–3– 2014–42पी/2014,दिनांक 14 जून, 2014 द्वारा **''समाधान दिवस''** के आयोजन विषयक निर्देश दिये गये हैं।

2– स्थानीय स्तर पर उक्त निर्देशों के क्रम में जन सामान्य को अपनी समस्यायें प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है, किन्तु यह अनुभव किया गया है कि ऐसी सुनवाई के समय केवल एक पक्ष ही अपना कथन प्रस्तुत कर पाता है, और दूसरे पक्ष को इस बारे में जानकारी नहीं हो पाती है जबकि किसी भी समस्या के समाधान हेतु सभी सम्बद्ध पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी प्रतीत हुआ है कि कभी–कभी संबंधित विभाग के अधीनस्थ कार्मिकों पर अविश्वास के कारण उभयपक्ष किये गये समाधान से सन्तुष्ट नहीं होते, साथ ही स्थानीय स्तर पर संसाधनों की कमी के कारण भी स्थायी हल नहीं निकल पाता। अधिकांश समस्यायें भूमि विवाद, दबंग व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण, उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा तथा जोर–जबर्दस्ती किये जाने से सम्बन्धित होती हैं, जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास से ही किया जा सकता है।

3– इन समस्याओं के निराकरण तथा निदान हेतु जनपद श्रावस्ती में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक अभिनव प्रयोग किया गया है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आये हैं, जिसमें चरणबद्व रूप से विवादों का निदान किया गया है। जनपद श्रावस्ती में अब तक कुल 324 ग्रामों में कुल चिन्हित 1148 प्रकरणों में से 854 का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि 294 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। इससे जहॉ एक ओर जन

सामान्य में प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर शान्ति व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार परिलक्षित हुआ है।

4– जनपद श्रावस्ती के इस सफल प्रयोग के आलोक में भूमि विवादों एवं अन्य विवाद, जिनका निराकरण राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनसामान्य की प्रतिदिन की शिकायतों के निस्तारण हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जायः–

(1) जनपद के सभी ग्रामों की हल्का लेखपाल के स्तर से ग्रामवार भूमि विवादों की सूचना निर्धारित प्रारुप पर संकलित की जाय, जिनको सभी अन्य राजस्व कर्मचारी/अधिकारी यथा राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के अनुसार अद्यावधिक किया जाय।

(2) पुलिस विभाग द्वारा बीट कांस्टेबल के स्तर से सूचनायें संकलित कर क्षेत्रीय उपनिरीक्षक तथा थानाध्यक्ष व पुलिस क्षेत्राधिकारी के स्तर पर परीक्षण कर अद्यावधिक किया जाय।

(3) ग्रामवार भूमि विवादों के ऐसे प्रकरणों को भी सूचीबद्ध किया जाय, जो दैनिक जनशिकायत, तहसील दिवस अथवा समाधान दिवस में प्राप्त हुये हों तथा जिनका निस्तारण संतोषजनक रुप से नहीं हो सका था।

(4) उपर्युक्त तीनों स्तर से प्राप्त संदर्भों को ग्रामवार संकलित किया जाय।

(5) भूमि विवाद के निस्तारण के प्रथम चरण में ऐसे ग्रामों को चिन्हित किया जाय, जहाँ पर 05 या उससे अधिक प्रकरण हों। प्रत्येक जनपद में विवादों की संख्या के अनुरूप इस संख्या को यथास्थिति परिवर्तित किया जा सकता है।

(6) इन प्रकरणों के मौके पर निस्तारण हेतु जनपद के प्रत्येक थानावार राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया जाय।

(7) राजस्व विभाग की टीम में तहसीलदार/नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक तथा लेखपालों के साथ–साथ पुलिस विभाग की टीम में सम्बन्धित थाना प्रभारी एवं कांस्टेबल को सम्मिलित किया जाय।

(8) संयुक्त टीम का कार्यक्रम ग्रामवार, तिथिवार, जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया जाय तथा टीमों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में यथावश्यक निर्देश दिये जायँ।

(9) संयुक्त टीम के ग्राम में निस्तारण हेतु पहुँचने पर ऐसे नवीन प्रकरण, जो प्रकाश में आते हैं तथा सूची में चिन्हित नहीं हैं, उनको भी सूची में सम्मिलित करते हुए उक्त टीम द्वारा निस्तारण किया जाय।

(10) न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को छोड़कर शेष प्रकरणों का समाधान क्षेत्र के सम्भ्रान्त लोगों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव के सुलह–समझौता के आधार पर पक्षों की सहमति से कराने का प्रयास किया जाए तथा जिन प्रकरणों में सुलह–समझौता सम्भव न हो, उनमें विधिक प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्यवाही की जाय।

(11) यह सुनिश्चित किया जाय कि विवाद से सम्बन्धित पक्षकारों को टीम के आने की सूचना कम से कम एक दिन पूर्व दे दी जाए जिससे वे मौके पर उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें।

(12) नियत तिथियों पर टीमों को आवंटित ग्राम में प्रस्थान तथा पहुंचने के समय की जानकारी करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रुम स्थापित किया जाय जैसा निर्वाचन तथा दैवी आपदा आदि के अवसरों पर स्थापित किया जाता है।

(13) भूमि विवादों के स्थलीय समाधान हेतु नामित टीम द्वारा निस्तारित किये जाने वाले प्रकरणों का विवरण तैयार किया जाय।

(14) प्रशासनिक तथा पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों (जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मैजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिला मैजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारीगण) द्वारा सम्बन्धित ग्रामों का भ्रमण कर टीम के कार्य का पर्यवेक्षण तथा संवेदनशील प्रकरणों में उनका मार्गदर्शन किया जाय एवं कतिपय प्रकरणों का स्वयं भी निस्तारण कराया जाय।

(15) ग्रामवार चिन्हित किये गये मामलों तथा उन पर की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण थाने की सामान्य दैनिकी (रोजनामचा आम, जी०डी०) में दर्ज कराने के साथ इन मामलों का लेखा–जोखा तहसील कार्यालय एवं जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जाय ताकि भविष्य में उन्हीं पक्षों के बीच पुनः विवाद उत्पन्न होने पर पूर्व में की गयी कार्यवाही की जानकारी हो सके। इससे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगेगा।

(16) ग्रामवार चिन्हित भूमि विवादों की संकलित सूची, निस्तारण हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना, टीमों द्वारा निस्तारित प्रकरणों का ग्रामवार विवरण तथा निस्तारण आख्या जन–सामान्य की जानकारी में लाने हेतु जनपद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

5 कृपया उपर्युक्त निर्देशों के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अवगत करा दें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश/औद्योगिक अवस्थापना एवं विकास आयुक्त।
2– शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/ सचिव।
3– प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कियान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
7– अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन उत्तर प्रदेश।
9– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10– गृह विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(प्रकाश नरायन)
विशेष कार्याधिकारी।